फर्द अहकाम

लय ACM आमेर मु० जयपुर

जगदीश बनाम जुगल

संख्या /वर्ष दावा 721 /20 08

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
6.7.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 5/1 ता 5/4, 6, 7, 8, 9, 16 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 10 लगायत 13 कई पेशीयो से अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। उभय पक्ष अधिवक्तागण की आपत्ति कुर्रेजात प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। आपत्तिकर्ता अधिवक्तागण ने जाहिर किया की कुर्रेजात मौके पर उपस्थित होकर नहीं बनाये गये है तथा कब्जे काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया। हमने कुर्रेजात प्रस्ताव व पत्रावली का अवलोकन किया गया। सभी पक्षकारान का राजस्व रिकॉर्ड के हिस्से अनुसार व बाद मौरूस के आधार पर विभाजन किया गया है। इसलिए आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है अतः आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाकर मुताबिक तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sh
Date: 2022.09.19 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :— सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 721 / 2008 निर्णय दिनांक 06.07.2022

जगदीश पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जयपुर। (मृतक दौराने वाद)
1 / 1 सजना देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश
1 / 2 कैलाश पुत्र स्व. श्री जगदीश
1 / 3 रामप्रकाश पुत्र स्व. श्री जगदीश
1 / 4 रामकरण पुत्र स्व. श्री जगदीश
1 / 5 मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश
1 / 6 संतोष मीणा पुत्री स्व. श्री जगदीश
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादीगण

बनाम

1. जुगलराम पुत्र श्री ग्यारसी लाल
2. सूणा राम पुत्र श्री धन्ना
3. शंकर पुत्र श्री रामेश्वर
4. रामचन्द्र पुत्र श्री नारायण

   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. भैरू पुत्र श्री नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर। (मृतक दौराने वाद)

   5 / 1 श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व. श्री भैरू राम
   5 / 2 मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री भैरू राम
   5 / 3 मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री भैरू राम
   5 / 4 जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री भैरू राम
   समस्त निवासीयान ग्राम पोस्ट खोराबिसल मीणों का मोहल्ला वाया झोटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
   5 / 5 भगवती पुत्री स्व. भैरू राम पत्नी प्रहलाद
   5 / 6 संतोष पुत्री स्व. भैरू राम पत्नी स्व. रामप्रसाद
   निवासीयान ग्राम रायथल पोस्ट गौहंदी वाया रेनवालमांजी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. सुल्तान पुत्र श्री नारायण
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री नारायण
8. रामरतन पुत्र श्री नारायण
9. रामगोपाल पुत्र श्री नारायण
10. सूजी देवी पुत्री श्री ग्यारसी लाल
11. मैना देवी पुत्री श्री ग्यारसी लाल
12. प्रेम देवी पुत्री श्री ग्यारसी लाल
13. भगवान देवी पुत्री श्री ग्यारसी लाल

    जाति मीणा , निवासी ग्राम खोराबीसल , तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
15. उप पंजीयक, आमेर, जिला जयपुर
16. सोहनी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी खोराबीसल त0 आमेर जिला जयपुर

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री पी0 क0 मीणा – वादी की ओर से।
(2) अधिवक्ता श्री महादेव जाट – प्रतिवादीगण 3, 5/1 से 5/4, 6, 7, 8, 9 की ओर से।
(3) अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट – प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से।

निर्णय दिनांकः– 06.07.2022

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व गांव खोराबीसल पटवार क्षैत्र खोराबीसल तहसील आमेर जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 10/759 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 11/761 रकबा 0.04 हैक्टेयर खसरा नम्बर 15/764 रकबा 0.11 हैक्टेयर खसरा नम्बर 16/765 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 18 रकबा 0.75 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19 रकबा 2.57 हैक्टेयर खसरा नम्बर 138/827 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 139 रकबा 1.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 141 रकबा 0.69 हैक्टेयर खसरा नम्बर 141/828 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 142 रकबा 0.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 17 रकबा 0.60 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 7.07 हैक्टेयर के 1/4 हिस्से व 1/4 हिस्से में से 1/2 यानि कुल आराजी में से 3/8 हिस्से का रिकार्डेड काबिज सहकृषक वादी, 1/4 हिस्से के सहकृषक प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13, 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से का सहकृषक प्रतिवादी संख्या 2 व शेष 1/4 हिस्से के काबिज सहकृषक प्रतिवादी संख्या 3 के पिता रामेश्वर व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सरोकार संबंध कब्जे व सहखातेदारी से नहीं रहा है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 की जगह नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 06–08–2007 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है।

वादी सहकृषक को यह कानूनी अधिकार हासिल है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत तकासमा मीट्स एण्ड बाउण्डस में करवाकर खाता व लगान अलग कायम करावे व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावे ताकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 वादी के निस्फ हिस्से कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा न कर सकें। वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्डस में तकासमा किया जाकर वादी का हिस्सा 1/4 व 1/4 में से 1/2 यानि कुल आराजी में से 3/8 हिस्से का खाता अलग कायम कर लगान भी अलग कायम किया जावें। पक्षकारान में अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का [illegible]लोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्त[illegible] उभय[illegible] को विवादित भूमि का तकासमा कराये जाने का कानूनी [illegible] तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे उभ[illegible] विवादित भूमि का विधिवत तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट शीघ्र भिजवावें। पालना हे[illegible] तहसीलदार आमेर को लिखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भूअ./2020/3053 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 10 लगायत 13

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06.07.2022 को अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर उपस्थित होकर नही बनाई गई है तथा रिपोर्ट कब्जे काश्त के अनुसार नही बनाई गई है। कुर्रेजात व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया जिसमें जाहिर होता है कि आपत्तिकर्ता का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार जमीन दी गई है तथा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया गया है। इसलिए आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. सजना देवी धर्म पत्नी स्व. जगदीश प्रसाद, कैलाश, राम प्रकाश, रामकरण, मनोज कुमार, जुगलराम पि0 जगदीश प्रसाद, सन्तोष मीणा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 18/1 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 139 रकबा 0.98 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/6 रकबा 0.53 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/3 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
2. सुणाराम पुत्र धन्ना जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 139/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर खसरा नम्बर 138/827 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/5 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/4 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैगनी रंग से दर्शाया गया है।
3. सूजी देवी, मैना देवी, प्रेम देवी, भगवान देवी पुत्रियां स्व ग्यारसीलाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 141 रकबा 0.69 हैक्टेयर खसरा नम्बर 141/828 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 18 रकबा 0.49 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19 रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.75 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
4. शंकर पुत्र स्व रामेश्वर, रामचन्द्र, भैरूराम, सुल्तान, लक्ष्मीनारायण, रामरतन, रामगोपाल पुत्रान् नारायण जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 142 रकबा 0.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 17 रकबा 0.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 15/764 रकबा 0.11 हैक्टेयर खसरा नम्बर 16/765 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 10/759 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.75 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
5. सजना देवी धर्म पत्नी जगदीश प्रसाद, कैलाश, रामप्रकाश, रामकरण, मनोज कुमार, जुगलराम पि0 जगदीश प्रसाद, संतोष मीणा पुत्री जगदीश प्रसाद हिस्सा 3/8 सूणाराम पुत्र धन्ना राम हिस्सा 1/8 सूजी देवी, मैना देवी, प्रेम देवी, भगवान देवी पुत्रिया ग्यारसीलाल हिस्सा 1/4 शंकर पुत्र स्व. रामेश्वर, रामचन्द्र, भैरूराम, सुल्तान, लक्ष्मीनारायण, रामरतन, रामगोपाल पुत्रान् नारायण हिस्सा 1 [illegible] मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 11/761 रकबा 0.04 हैक्टेयर [illegible] किता 1 कुल रकबा 1 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार आमेर से [illegible]त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी **अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)**

वाद संख्या 721/2008 निर्णय दिनांक 24.12.2021

जगदीश पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जयपुर। (मृतक दौराने वाद)
1/1 सजना देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश
1/2 कैलाश पुत्र स्व. श्री जगदीश
1/3 रामप्रकाश पुत्र स्व. श्री जगदीश
1/4 रामकरण पुत्र स्व. श्री जगदीश
1/5 मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश
1/6 संतोष मीणा पुत्री स्व. श्री जगदीश
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........वादीगण

बनाम

1. जुगलराम पुत्र श्री ग्यारसी लाल
2. सूणा राम पुत्र श्री धन्ना
3. शंकर पुत्र श्री रामेश्वर
4. रामचन्द्र पुत्र श्री नारायण
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. भैरू पुत्र श्री नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर। (मृतक दौराने वाद)
5/1 श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व. श्री भैरू राम
5/2 मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री भैरू राम
5/3 मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री भैरू राम
5/4 जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री भैरू राम
समस्त निवासीयान ग्राम पोस्ट खोराबिसल मीणों का मोहल्ला वाया झोटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5/5 भगवती पुत्री स्व. भैरू राम पत्नी प्रहलाद
5/6 संतोष पुत्री स्व. भैरू राम पत्नी स्व. रामप्रसाद
निवासीयान ग्राम रायथल पोस्ट गौहंदी वाया रेनवालमांजी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. सुल्तान पुत्र श्री नारायण
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री नारायण
8. रामरतन पुत्र श्री नारायण
9. रामगोपाल पुत्र श्री नारायण
10. सूजी देवी पुत्री श्री ग्यारसी लाल
11. मैना देवी पुत्री श्री ग्यारसी लाल
12. प्रेम देवी पुत्री श्री ग्यारसी लाल
13. भगवान देवी पुत्री श्री ग्यारसी लाल
जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
15. उप पंजीयक, आमेर, जिला जयपुर
16. सोहनी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी खोराबीसल त0 आमेर जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

आमेर सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक 06.07.2022

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. सजना देवी धर्म पत्नी स्व. जगदीश प्रसाद, कैलाश, राम प्रकाश, रामकरण, मनोज कुमार, जुगलराम पि0 जगदीश प्रसाद, सन्तोष मीणा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 18/1 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 139 रकबा 0.98 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/6 रकबा 0.53 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/3 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
2. सुणाराम पुत्र धन्ना जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 139/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर खसरा नम्बर 138/827 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/5 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/4 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैगनी रंग से दर्शाया गया है।
3. सूजी देवी, मैना देवी, प्रेम देवी, भगवान देवी पुत्रियां स्व ग्यारसीलाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 141 रकबा 0.69 हैक्टेयर खसरा नम्बर 141/828 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 18 रकबा 0.49 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19 रकबा 0.27 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.75 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
4. शंकर पुत्र स्व रामेश्वर, रामचन्द्र, भैरूराम, सुल्तान, लक्ष्मीनारायण, रामरतन, रामगोपाल पुत्रान् नारायण जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 142 रकबा 0.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 17 रकबा 0.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 15/764 रकबा 0.11 हैक्टेयर खसरा नम्बर 16/765 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 10/759 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 19/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.75 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
5. सजना देवी धर्म पत्नी जगदीश प्रसाद, कैलाश, रामप्रकाश, रामकरण, मनोज कुमार, जुगलराम पि0 जगदीश प्रसाद, संतोष मीणा पुत्री जगदीश प्रसाद हिस्सा 3/8 सूणाराम पुत्र धन्ना राम हिस्सा 1/8 सूजी देवी, मैना देवी, प्रेम देवी, भगवान देवी पुत्रिया ग्यारसीलाल हिस्सा 1/4 शंकर पुत्र स्व. रामेश्वर, रामचन्द्र, भैरूराम, सुल्तान, लक्ष्मीनारायण, रामरतन, रामगोपाल पुत्रान् नारायण हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 11/761 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में भूरा लाल (मैरून) रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। ।

बसरव्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 06.07.2022 को जारी किया ।
दस्तखत ––––
ओहदा ––––

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:09:36 IST
Reason: SelfAttested